यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता (पीएमजएसवाई) पीडबल्यूडी धारचूला पिथौरागढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई धारचूला (पीडबल्यूडी) के माह 05/ 2014 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री शरत श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 15-10-2018 से 23-10-2018 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी।

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा थी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई द्वारा मुख्यतः ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाता है। इस इकाई के अंतर्गत धारचूला एवं मुंस्यारी के क्षेत्र आते है।
   (ii) इकाई द्वारा केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि एवं कोषागार द्वारा प्रदत्त धनराशि से सड़क निर्माण का कार्य किया जाता है।
3. (i))**अ (विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

(रु लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)₹**	**बचत (-)₹**
	स्थापना ₹	**गैर स्थापना ₹**	**आवंटन ₹**	**व्यय ₹**	**आवंटन ₹**	**व्यय ₹**		
2015-16	----	-----	8.33	8.33	2876.31	1640.97	-----	1235.34
2016-17	----	1094.23	72.28	72.28	2981.16	3640.38	-----	48.59
18-2017	----	48.59	79.27	79.27	4484.49	3231.14	----	1134.83

नोट:- वर्ष 2015-16 मे रु 141.11 लाख, 2016-17 मे रु 386.39 लाख, 2017-18 मे रु 167.08 लाख का समर्पण किया गया ।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्राप्त ₹**	**व्यय अधिक्य(+) ₹**	**बचत(-) ₹**
2015-16	प्रोग्राम निधि	1733.06	1594.35	138.71
	प्रशासन (केंद्र)	17.54	15.17	2.37
2016-17	प्रोग्राम निधि	1998.29	1779.96	218.33
	प्रशासन (केंद्र)	13.40	13.39	0.01
2017-18	प्रोग्राम निधि	1746.69	1605.94	140.75
	प्रशासन (केंद्र)	13.50	13.49	0.01

(ii) इकाई को बजट आवंटन यूआरआरडीए द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई को केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं कोषागार मद से धनराशि प्राप्त होती है। इकाई श्रेणी ब के अंतर्गत आती है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

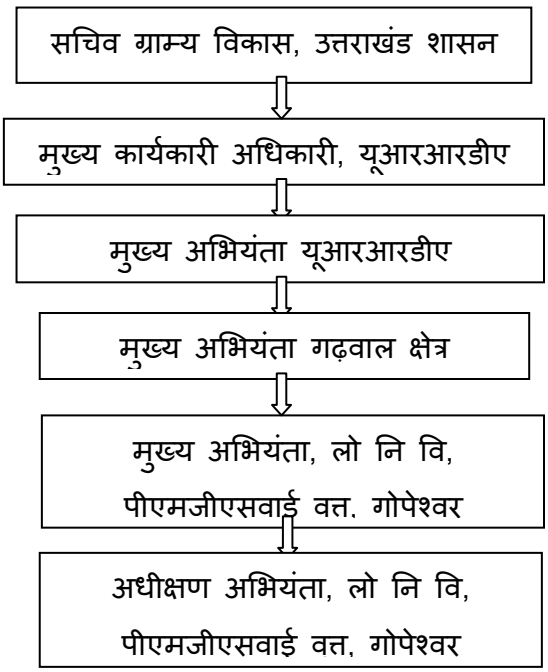

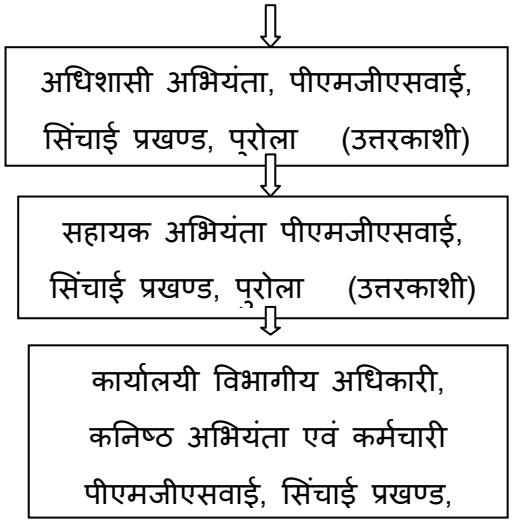

(iii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में धारचूला,पिथौरागढ़ के अंतर्गत धारचूला एवं मुंस्यारी का कार्य क्षेत्र आता है। लेनदेन की लेखापरीक्षा संपादित की गयी। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई (पीडबल्यूडी) धारचूला की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/3017एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित का विस्तृत विश्लेषण किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(अ)

प्रस्तर-1- कार्य के अंतिमिकरण के दौरान रु 126.68 लाख की वसूली नहीं किया जाना ।

आईटीबी के पैरा सं0 44.1 के अनुसार यदि कार्य माइलस्टोन के अनुसार नहीं किया जाता है तो ठेकेदार से कम से कम अनुबंध की राशि का 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से या अनुबंध की धनराशि का अधिकतम 10 प्रतिशत एलडी (जो कम हो) काटी जानी चाहिए। तथा कांट्रैक्ट डाटा के अनुसार अवशेष कार्य का 20 प्रतिशत अर्थदण्ड भी वसूला जाना चाहिए।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज-5 के अंतर्गत मदकोट दारमा मोटर मार्ग, जिसकी लम्बाई 20.65 कि० मी० है, के स्टेज 1 (Hill side cutting,pakka/Kacchadrains,Culverts/causeway, Retaining and brest wall, parapets आदि) के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश सं० 1939/P1-06(V)/URRDA/05 दिनाक 16.12.2006 के द्वारा निर्माण हेतु रु 453.81 लाख एवं अनुरक्षण हेतु रु 34.14 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस मार्ग से तीन गाँव जोसा, दूनामानी एवं दारना जुडने थे जिनकी अनुमानित जनसंख्या क्रमशः 880, 375 एवं 306 थी। इकाई द्वारा निर्माण के लिए अनुबन्ध स० 20/SE-IIIcircle दिनाक 22.10.2008 को रु 664.37 लाख (41% above) (निर्माण रु 630.70 लाख एवं अनुरक्षण रु 33.67 लाख) मे गठित किया गया। कार्य प्रारम्भ की तिथि 22.10.2008 तथा कार्य पूर्ण करने की तिथि 21.10.2009 थी।

अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि ठेकेदार द्वारा कार्य समय से पूर्ण नहीं किया गया था तथा समयवृद्धि की मांग की गयी थी जिसे मुख्य अभियंता द्वारा 0.25 प्रतिशत अर्थदण्ड लगाते हुए दिनाक 15.08.2013 तक प्रदान किया था। आगे जांच मे यह भी पाया गया कि ठेकेदार द्वारा कुल लंबाई 20.65 कि० मी० मे से 09 कि० मी० पर ही स्टेज-1 का कार्य वर्ष 2013 तक किया गया था। तत्पश्चात कार्य बंद कर दिया गया एवं किये गये कार्य मे भी कई कमियां थी। इकाई द्वारा बार बार ठेकेदार को कार्य पूर्ण करने तथा किए गए कार्य के defects दूर करने के लिए निर्देशित किया गया था, परन्तु ठेकेदार द्वारा न तो आगे का कार्य किया गया और न ही defects ठीक किए गए थे । अंततः वर्ष 2014-15 मे अधीक्षण अभियंता द्वारा अधिशासी अभियन्ता को उसी वित्तीय वर्ष मे अनुबंध के अंतिमिकरण करने के लिए निर्देशित किया गया था।

अधिशासी अभियंता द्वारा अधीक्षण अभियंता को अनुबंध के अंतिमिकरण हेतु दिनांक 06.10.2016 को (लगभग दो वर्षो बाद) अंतिम देयक और विचलन स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था जिसमे सिर्फ defect liability के रूप मे रु 30.50 लाख की कटौती दर्शायी गयी थी। जिसे अधीक्षण अभियंता द्वारा अनु दन हेतु जनवरी 2017 मे मुख्य अभियंता, यूआरआरडीए को प्रेषित किया गया था तथा अनुमोदन लेखापरीक्षा तिथि (09/2018) तक अर्थात लगभग दो वर्षो से लंबित था। अंतिम देयक से पहले इस कार्य पर 19 देयकों द्वारा रु 277.79 लाख का भुगतान किया गया, एवं 20 वे अंतिम देयक मे रु 13.90 लाख का कार्य किया गया है अर्थात कुल रु 291.70 लाख का कार्य किया गया था।

इकाई द्वारा अंतिम देयक मे न तो समयवृद्धि व्यतीत होने के बाद से अंतिमिकरण की तिथि तक एलडी रु 63.07 लाख (630.70 * 10%) की कटौती की गयी, न ही अवशेष कार्य का 20 प्रतिशत रु 32.42 लाख (रु 453.81 लाख – रु 291.70 लाख = रु 162.11 * 20%) अर्थदण्ड लगाया गया और न ही 15.08.2013 तक प्रदान की गयी समयवृद्धि के लिए 0.25 प्रतिशत का अर्थदण्ड रु 69,447/- ही काटा गया था। इसके अतिरिक्त रु 30.50 लाख की डिफ़ेक्ट लाईबिलिटी की राशि की वसूली भी लंबित थी।

इकाई द्वारा ठेकेदार से रु 16.40 लाख की एफ़डीआर एवं रु 21.70 लाख की धनराशि देयकों से जमानती धनराशि के रूप मे काटी गई थी जिसमे से एफ़डीआर की सम्पूर्ण राशि यूआरआरडीए के आदेश से फरवरी 2016 मे ठेकेदार को वापिस की गयी थी जबकि बिना कार्य के अंतिमिकरण के किसी भी प्रकार की राशि का वापिस किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं था।

आगे जांच मे यह भी पाया गया कि इकाई द्वारा पुराने अनुबंध का अंतिमिकरण किये बिना ही किमी 09 से 12.75 तक (3.75 किमी) तक का आंगणन वर्ष 2016 मे अनुमोदन हेतु यूआरआरडीए को प्रस्तावित किया गया। जिसमे किमी 0.00 से 9.00 तक defect liability एवं अपूर्ण कार्य का आगणन (वर्ष 2015 के एस ओ आर के अनुसार) रु 117.21 लाख भी शामिल था, किन्तु इकाई द्वारा 9.00 से 12.75 किमी के स्टेज 1 (कटिंग एवं निर्माण) कार्यो के लिए निविदा आमंत्रित करते समय 0.00 से 9.00 कि० मी० मार्ग के defect liability एवं अपूर्ण कार्यो को शामिल नहीं किया गया तथा मार्च 2017 मे रु 369.09 लाख का अनुबंध सं0 124 यूटी-09-04/v/यूआरआरडीए/16 दिनांक 28.03.2017 गठित किया गया था। जिसमे किमी 09 से आगे 12.75 किमी तक (3.75 किमी) के स्टेज-1 के कार्य किये जाने थे। लेखापरीक्षा तिथि तक इस कार्य पर रु 148.88 लाख व्यय (09/2018) किया जा चुका था तथा कार्य प्रगति पर था।

उपरोक्त प्रकरण से प्रकाश मे आया कि 10 वर्षो के अंतराल मे भारत सरकार द्वारा स्वीकृत रु 453.81 लाख मे से रु 440.58 लाख (रु 291.70 लाख + रु 148.88 लाख) का व्यय करने के बावजूद 20.65 किमी की लंबी सड़क मे मात्र 12.75 किमी (9.00 किमी + 3.75 किमी) मे ही कार्य किया गया। जिसमे से भी 0 से 9 कि० मी० तक defect liability एवं अपूर्ण कार्यो को नहीं किया गया। साथ ही ठेकेदार से अंतिमिकरण के समय रु 63.07 लाख कि एलडी, रु 32.42+ रु 0.69 लाख का अर्थदण्ड तथा रु 30.50 लाख की डिफ़ेक्ट लाईबिलिटी की राशि अर्थात कुल रु 126.68 लाख की वसूली नहीं की गई और न ही जिस प्रयोजन के लिए डीपीआर बनाई गयी थी एवं भारत सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त की गयी, वो पूरा हुआ।

इकाई से पूछने पर बताया गया कि वर्ष 2014-15 से ठेकेदार को defects एवं Balancework को करने हेतु निर्देश दिये गए परन्तु निर्देशों का पालन न करने के कारण अंतिमिकरण मे विलम्ब हुआ। आगे यह भी बताया गया कि एल डी एवं अर्थदण्ड उच्च अधिकारियों के सज्ञान मे लाया जायेगा और निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी। स्वीकृत समयवृद्धि मे अर्थदण्ड न लगाये जाने पर बताया गया कि अर्थदण्ड त्रुटिवश नहीं लगाया गया जिसे

अंतिम देयक मे लगाया जायेगा। किमी 0.00 से 9.00 तक अवशेष कार्यो को निविदा मे शामिल न करने पर इकाई ने बताया कि लागत अत्यधिक होने के कारण निविदा मे शामिल नहीं किया गया।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं हैं, क्योकि कुल वसूली रु 126.68 लाख के सापेक्ष इकाई के पास कुल रु 35.60 लाख (अंतिम देयक रु 13.90 लाख एवं जमानती राशि रु 21.70 लाख) ही पड़ी है। इकाई द्वारा यदि FDR की धनराशि रु 16.40 लाख माह 02/2016 मे अवमुक्त नहीं की होती तो इस धनराशि को भी वसूली मे लिया जा सकता था।

अतः रु 126.68 लाख की धनराशि की वसूली का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- बिना सक्षम प्राधिकारी के निरीक्षण आख्या एवं अनुमोदन के रु 40.95 लाख के अतिरिक्त मद के कार्य का भुगतान।

फेज xii के अंतर्गत बंसबगड़ से मानिधामी मोटर रोड (स्टेज-1) के मोटर मार्ग मे भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 मे ₹ 400.27 लाख (निर्माण) तथा ₹ 39.32 लाख (अनुरक्षण मद) मे वित्तीय स्वीकृति दी गयी थी। जिसकी प्राशासकीय स्वीकृति मार्च 2013 मे उत्तराखंड ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रदान की गयी थी तथा तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता द्वारा निर्माण कार्य पर ₹ 399.57 लाख एवं अनुरक्षण मद पर ₹ 29.54 लाख की प्रदान की गयी थी (मई 2013)। डीपीआर की प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार 5.970 किमी लंबाई मे कार्य किये जाने थे।

नवम्बर 2016 मे अनुबंध सं0 11/एसई/पीएमजीएसवाई /2016-17 के अंतर्गत रु 454.56 लाख (निर्माण) एवं ₹ 6.46 लाख (अनुरक्षण) का एक अनुबंध गठित किया गया था। जिसमे कार्य प्रारम्भ की तिथि 02.11.2016 एवं समाप्ति की तिथि 01.02.2018 थी ।

अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि ठेकेदार द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी के निरीक्षण आख्या एवं अनुमति के आर आर स्टोन मेसनरी लेड 1:5 मे 429.00 cum की जगह 1479.91 cum (300 प्रतिशत से अधिक) का अतिरिक्त कार्य किया गया। तथा इकाई द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी (मुख्य अभियंता) के अनुमोदन के ठेकेदार को अतिरिक्त मद का ₹ 40.95 लाख का अधिक भुगतान किया गया,जिसका विवरण निम्न प्रकार था:-

कार्य का विवरण	अनुबंध मे दर्शाई गयी मात्रा	वास्तविक रूप से किये गये कार्य की मात्रा	अंतर	दर	बचत	आधिक्य
R R stone masonry for structure laid in 1:5	429.00	1479.91	1050.00	3900.00	-----	40,95,000.00
				Total amount		4095000.00

इकाई से इस संबंध मे पूछे जाने पर बताया गया कि मार्च 2018 मे ₹ 133.20 लाख का विचलन गठित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था। जो वर्तमान तक मुख्य अभियंता स्तर पर लंबित है।

इकाई के उत्तर मान्य नहीं थे क्योकि किसी एक मद पर 300 से अधिक प्रतिशत का अतिरिक्त कार्य बिना सक्षम प्राधिकारी के निरीक्षण आख्या एवं अनुमोदन के नहीं किया जाना चाहिये था।

अतः बिना सक्षम प्राधिकारी के निरीक्षण आख्या एवं अनुमोदन के ₹ 40.95 लाख के अतिरिक्त मद के कार्य का भुगतान किये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- ठेकेदार के पास ₹ 88.00 लाख का मोबीलाइजेशन एडवांस 22 माह से अवरूद्ध रहना

अनुबंध सं0 118/xiii/CE-URRDA दिनांक 18.12.2016 के द्वारा ₹ 901.11 लाख की अनुबंध राशि का उक्त विषयक मोटर मार्ग (स्टेज-1) का निर्माण किया जाना था। जिसकी कार्य प्रारम्भ की तिथि 23.12.2016 एवं कार्य समाप्त की तिथि 22.03.2018 थी। जनवरी 2017 मे ठेकेदार द्वारा मोबीलाइजेशन एडवांस की मांग की गई थी। जिसके आधार पर इकाई द्वारा मोबीलाइजेशन एडवांस दिये जाने की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक दिशानिर्देश मांगा गया था। अभिलेखो के अनुसार, बिना सक्षम प्राधिकारी के दिशानिर्देश के जनवरी 2017 मे रु 88.00 लाख का मोबीलाइजेशन एडवांस ठेकेदार को दिया गया तथा जनवरी 2017 से सितंबर 2018 तक (22 माह) से ठेकेदार के पास ₹ 88.00 लाख अवरूद्ध पड़ा हुआ था। मई 2018 तक मात्र 0.600 मीटर नापभूमि मे ही फर्म द्वारा पहाड़ कटान का कार्य किया गया था तथा वर्तमान तक कार्य बंद चल रहा है। इकाई द्वारा मार्च 2019 तक समय वृद्धि के अनुरोध के बावजूद वर्तमान तक सक्षम प्राधिकारी (मुख्य अभियंता) द्वारा समय वृद्धि भी अनुमोदित नहीं की गई है।

इकाई से इस संबंध मे पूछे जाने पर बताया कि मार्ग के प्रारम्भिक बिन्दु से 0.500 किमी0 तक पेड़ो की संख्या नहीं होने के कारण तथा बीआरओ मार्ग पर कार्य प्रगति पर था। अतः कार्य प्रारम्भ की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए जनवरी 2017 मे मोबीलाइजेशन एडवांस ₹ 88.00 लाख दिया गया था।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि बिना सक्षम प्राधिकारी के दिशानिर्देश के तथा 0.0500 किमी के बाद पेड़ो के छपान की कार्यवाही सुनिश्चित हुए बगैर ₹ 88.00 लाख का मोबीलाइजेशन एडवांस दिया जाना वित्तीय नियमों के विरुद्ध था। इकाई को कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करने की कार्यवाही करवानी चाहिये थी या ₹ 88.00 लाख की वसूली मय ब्याज ठेकेदार से की जानी चाहिये। जो वर्तमान तक (अक्तूबर 2018) तक इकाई द्वारा नहीं की गई।

अतः ₹ 88.00 लाख का मोबीलाइजेशन एडवांस 22 माह से ठेकेदार के पास अवरूद्ध रहने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:3- रु 1001.11 लाख की धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद नाप भूमि के काश्तकारों को भुगतान/ बहिनामा रजिस्ट्री नहीं किया जाना।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मोटर मार्ग निर्माण हेतु संरेखण मे आने वाली वाली नापभूमि का बहिनामा, रजिस्ट्री किया जाता है तथा काश्तकारों को प्रतिकर का भुगतान किया जाता है। प्रतिकर की दर उत्तरप्रदेश स्टाम्प (संपत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (उत्तराखंड मे लागू) मे निहित प्रावधानों के अनुसार सर्कल रेट की दर से होगी।

इकाई के स्वीकृत मार्गो के प्रतिकर से संबन्धित अभिलेखो/प्रस्तावो की नमूना जांच मे पाया गया कि इकाई द्वारा माह 09/2018 तक 10 मोटर मार्गो के निर्माण हेतु संरेखण मे आने वाली नापभूमि के प्रतिकर के भुगतान के लिए रु 1001.11 लाख की धनराशि का प्रस्ताव भेजा था तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित धनराशि इकाई को माह 02/2018 मे आवंटित की गयी थी परन्तु इकाई द्वारा धनराशि प्राप्त होने के बाद भी विगत आठ माहों से संरेखण मे आने वाली नाप भूमि के काश्तकारों को भुगतान नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप इस नाप भूमि की बहिनामा रजिस्ट्री भी नहीं हुई थी।

इकाई द्वारा पूछे जाने पर बताया गया कि अमीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण प्रतिकर के भुगतान मे देरी हुई ।

अतः रु 1001.11 लाख की धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद काश्तकारों को भुगतान/ बहिनामा रजिस्ट्री नहीं किए जाने का प्रकरण सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-4- त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण रु 4.72 लाख वेतन एवं भत्तो पर अधिक भुगतान

छठे वेतन अयोग के शासानादेश स.395/xxxii (7) /2008 dated 17.10.2008 के दिशा निर्देश के बिन्दु स 12 (1 एवं 2) के अनुसार कार्मिको कि संशोधित वेतन ढाचे मे पदोन्नति दो प्रकार से हो सकती है 1- एक ही वेतन बैंड मे एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन मे पदोन्नति 2- एक वेतन बैंड से दूसरे वेतन बैंड मे पदोन्नती ।

दिनांक 01 जनवरी, 2006 को या उसके पश्चात संशोधित वेतन ढाचे मे एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन मे पदोन्नति की स्थिति मे वेतन निर्धारण वेतन बैंड मे वेतन मे अनुमन्य ग्रेड वेतन जोड़ कर इसके 03 % की धनराशि गुणक कर के इस धनराशि को वेतन बैंड मे मौजुदा वेतन मे जोड़ दिया जायेगा। इसके बाद वेतन बैंड मे वेतन के अतिरिक्त पदोन्नति पद के समकक्ष ग्रेड वेतन मे वेतन प्रदान किया जायेगा। जंहा पदोन्नती मे वेतन बैंड मे परिवर्तन भी हो ऐसी स्थिति मे इसी प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथापि प्रोनति के ठीक पूर्व प्राप्त वेतन वृद्धि ज़ोड़ने के बाद जहा वेतन बैंड मे वेतन पदोन्नति वाले पद के उच्च वेतन बैंड के न्यूनतम से कम होगा तो इस वेतन को उक्त वेतन बैंड मे न्यूनतम के बराबर बढा दिया जायेगा ।

इकाई मे कार्यरत विवेक सिंह (जेई) की सेवा पुस्तिका की जाँच करने पर यह देखा गया की दिनांक 1.3.2013 को इनकी वेतन (9710+4200=13910) थी । दिनाक 1.3.2013 को ग्रेड वेतन मे संशोधन होने के कारण एक नोशनल वेतन वृद्धि देते हुये (10140+4600=14740) वेतन निर्धारण ना कर के ग्रेड पे रु 4600/- का न्यूनतम (12540+4600=17140) वेतन पर निर्धारण किया गया जो की शासनादेश के दिशा निर्देश के विपरीत है। त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण माह 3/2013 से माह 10/2018 तक वेतन एवं भत्तो पर रु 4,72,034/- का अधिक भुगतान किया गया । जिसका विवरण प्रपत्र -1 मे स्लंग्न है।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संदर्भ में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये बताया की प्रकरण की पुनः जाँच कर उचित कार्यवही की जायेगी एवं लेखा परीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

इस प्रकार त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण रु 4.72 लाख वेतन एवं भत्तो पर अधिक भुगतान का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- शासन के दिशानिर्देश का उल्लघन कर रु 14.44 लाख का कार्य कार्यादेश के माध्यम से कराये जाना

As par Guideline of central public work department Manual 2003, para 14.4.4 the AEEs /AEs shall normally award work without call of tenders up to their individual power only against the estimates technically sanctioned by them. However, in exceptional cases involving greater urgency or emergency they can also award works without call of tenders against the estimates technically sanctioned by higher authorities provided approval in principal is obtained from the Ex. Engineer and amount of work orders issued against the concerned estimate does not exceed the power of the AE/AEE to award work without call of tender. Reasonableness of rate in such shall however be the responsibilities of the AE/AEE only.

कार्यालय अधिशासी अभियंता प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पीडबल्यूडी धारचूला की कार्यदेश पंजिका (work order book) की नमूना जांच करने पर यह देखा गया की सहायक अभियंताओ द्वारा preparation of DPR, Annual Repair and const. of job pillar & cutting पर रु 14.53/- लाख व्यय किया गया था। जब की सरकारी गजट/ दिशानिर्देश के अनुसार सहायक अभियंता को आकस्मिक प्रकार के कार्य को बिना टेंडर के लेकिन आगणन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के मंजूरी के बाद कार्यादेश के माध्यम से किया जाना चाहिये था। उक्त कार्य जो कराये गए वह स्थायी प्रकृति के थे। कार्यादेश के कार्यों का विवरण निम्नवत है-

sr.No	Name of Work (Road name)	No of work	Amount
1.	Annual Repair (Const of Job pillar & cutting)	06	624608.00
2.	Prepration of DPR	05	820133.00
Total=			**14,44,741.00**

लेखा परीक्षा द्वारा इस संदर्भ में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये बताया की उक्त मद का कार्य उच्च अधिकारियों के निर्देशों के कारण कार्यदेश के माध्यम से कराये गये है चूंकि कार्य कराये जाने का मौखिक निर्देश थे। अतः कार्य को यथाशीघ्र कराये जाने के कारण कार्यदेश के माध्यम से कराये गए।

उत्तर मान्य नहीं है, सरकारी गजट/दिशानिर्देश के अनुसार सहायक अभियंता को आकस्मिक प्रकार के कार्य कार्यदेश के माध्यम से कराये जाने की अनुमति है, उक्त कार्य स्थायी प्रकृति के थे। अत: इस प्रकार शासन के दिशानिर्देश के उल्लघन कर रु 14.44 लाख का कार्यादेश के माध्यम से कार्य कराये जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
प्रथम लेखापरीक्षा				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई (पीडबल्यूडी) धारचूला तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. सतत् अनियमितताएः

दैवीय आपदा की रोकड़ बही एवं आवश्यक पंजिकाए न बनाया जाना

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	अवधि
1.	ई0 प्रवीण कर्णवाल	(31.05-14 से 22-08-2014)
2.	ई0 विजय कुमार	(22-08-2014 से 02-03-2015)
3.	ई0 प्रवीण कर्णवाल	(02-03-2015 से 28.05.2018)
4.	ई0 किशन सिंह एरी	(28.05.2018 से 12.10.2018)
5.	ई0 नवीन चन्द्र जोशी	(12.10.2018 से वर्तमान तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई (पीडबल्यूडी) धारचूला को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.